

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(पूर्व नाम- छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)

जी. ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771 2263234

ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/1104 /D.U.H.S./गोप./2018

रायपुर, दिनांक 24/04/2018

//अधिसूचना//

अनुचित साधन समिति की बैठक दिनांक 17.04.2018 के निर्णयानुसार - निम्नलिखित अनुचित साधन प्रकरण रेगुलेशन 10 के बिन्दु क्रमांक 03 की श्रेणी में दंड योग्य है। इन्हें "Not allowed to appear for the entire examination of that year (Cancellation of Examination)." निम्नलिखित छात्रों की वर्तमान परीक्षा को निरस्त कर आगामी एक परीक्षा से वंचित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	परीक्षाकेंद्र का नाम	महाविद्यालय का नाम
1511330	बी.डी.एस.द्वितीय वर्ष परीक्षा सितं.-2017 (जनरल पैथालाजी)	अनुब्रता लाला	भारती आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग	मैत्री कालेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर, दुर्ग

आदेशानुसार


  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/ 632/D.U.H.S./गोप./2018

रायपुर, दिनांक 24/04/2018

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों द्वारा प्राचार्य, मैत्री कालेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।

  
कुलसचिव